न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 29/2012/नागौर (2012/00058)

दामोदर पुत्र बंशीराम जाति जाट निवासी सांजू तहसील डेगाना जिला नागौर।

अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नागौर आदेश कमांक प–21(305) न्याय /आर्म्स/2010/402 दिनांक 30–8–2012

————

उपस्थितः 1– श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक : 11–5–2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम सिंगल बेरल 12 बोर नम्बर 8013 बी/7 मेड इन इण्डिया शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 12/90 जो कि लगातार 31–12–2002 तक नवीनीकृत होता आ रहा था। उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण कराने के लिए निर्धारित अवधि में जिला मजिस्ट्रेट नागौर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपीलांट के चरित्र संबंधी जांच कराने के लिए पुलिस अधीक्षक नागौर से रिपोर्ट चाही गई पुलिस अधीक्षक नागौर ने अपीलांट के चरित्र के बारे में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं भेजी परन्तु विलम्ब से नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त कारण नहीं मानकर अपने आदेश दिनांक 30–8–2012 के द्वारा अपीलांटके नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 2/90 निरस्त करने के आदेश दे दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर सम्बन्धित अभिलेख तलब किया गया । अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी। रेस्पोन्डेन्ट अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(1) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि लाईसेंस को रिवोक/निलम्बन/निरस्त करने संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व लाईसेंसधारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक हैं। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया इसलिए अपीलाधीन आदेश आर्म्स एक्ट की धारा 17(1) व (3) के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। उक्त आदेश में लाईसेंस नवीनीकरण करने के कोई ठोस कारण अंकित नहीं किये केवल मात्र जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया गया है। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(बी) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेंस उन्हीं परिस्थितियों में निलंबित/रिवोक किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हो। इन प्रावधानों में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए ही लाईसेंस निरस्त किया जा सकता है। अपीलांट ने कभी भी लाईसेंसशुदा हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है। अपीलांट के नाम जो हथियार था वह 31–12–2002 तक नवीनीकृत था। वर्ष 2002 में भयंकर सूखा पड़ने और मवेशियों के लिए चारा तक पैदा नहीं होने के कारण अपीलांट को अपने मवेशियों को साथ खाने कमाने के लिए फरूखाबाद में रहना पड़ा। अपीलांट ने प्रधान, ग्राम पंचायत दारापुर, वि0स0 कायम गंज फरूखाबाद का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र को नहीं मानने का भी कोई कारण जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अपीलांट कृषक है उसकी कृषि भूमि जंगल में होने के कारण अपनी व अपनी फसल की सुरक्षा के लिए हथियार का होना आवश्यक है। इसलिए यदि हथियार का लाईसेंस निरस्त किया गया तो अपीलांट अपनी फसल की सुरक्षा करने में असमर्थ रह जायेगा।

उनका यह भी तर्क है कि राजस्थान गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर ने परिपत्र क्रमांक प–1(13) गृह–9/2006 दिनांक 16–12–2006 में शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के प्रावधान दिये गये है। इस परिपत्र के बिन्दु संख्या 5.1 में नवीनीकरण अभ्यावेदन विलम्ब से भी स्वीकार किये जाने की व्यवस्था दी गई है। इसके लिए परिशिष्ठ–11 में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है।

अपीलांट द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। बिन्दु संख्या 5 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करने से पूर्व बिन्दु संख्या 5.2(1) से 5.2(12) में वर्णित बिन्दुओं की पालना करने पर ही लाईसेंस आगे नवीनीकरण करने की व्यवस्था है। इसमें आर्म्स रूल्स के नियम 3 व 4 का भी उल्लेख है तथा परिशिष्ठ 10 में वर्णित शपथ पत्र भी दिये जाने की व्यवस्था है। बिन्दु संख्या 5 में वर्णित शर्तो की अवहेलना का अपीलांट दोषी नहीं है। शपथ पत्र में 1 से 5 बिन्दु है इनमें से कोई भी बिन्दु अपीलांट के विपरीत नहीं होने के बावजूद भी अनुज्ञापत्र निरस्त किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट एक कृषक है कृषि का व्यवसाय होने के कारण अपीलांट को कई दिनों तक शहर के बाहर सुनसान स्थानों पर रहना होता है जहां केवल स्वयं के हथियार से ही सुरक्षा की जा सकती है। राजस्थान गृह (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–1(13) गृह 9/2006 दिनांक 13–7–2007 के बिन्दु संख्या 6(क) व (ख) के अनुसार फसल सुरक्षा व स्वयं की सुरक्षा के लिए हथियार का लाईसेंस जारी किया जा सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट, नागौर की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा अपीलांट दामोदर पुत्र श्री बंशीराम जाति जाट निवासी सांजू तहसील डेगाना के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 12/90 बाबत जिला पुलिस अधीक्षक नागौर से रिपोर्ट चाहे जाने पर उनकी रिपोर्ट एवं अपीलांट द्वारा अपने प्रतिउत्तर दिनांक 28–8–2012 में शस्त्र नवीनीकरण में विलम्ब के कारण का कोई ठोस उल्लेख नहीं किया केवल मात्र खाने कमाने के लिए फर्रूखाबाद रहना लिखा है। इससे स्पष्ट है कि अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति की शर्तो की पालना नहीं कर रहा है जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–8–2012 द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 12/90 निरस्त किया गया है।

मैने अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनकर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नागौर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर से अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करने हेतु रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने अपने पत्र क्रमांक नागौर/वि0शा0/आर्म्स नवी0/2011/4942 दिनांक 10–8–2011 में उल्लेखित किया है कि अपीलांट खाने कमाने हेतु बाहर गया है उक्त अवधि के दौरान प्रार्थी का आचरण सही पाया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध 1999 के बाद कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर के पूर्व पत्र क्रमांक 8133 दिनांक 29–12–2010 में आवेदक का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नियमानुसार नवीनीकरण नहीं किया जावे इसके संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट के विरूद्ध पूर्व में तीन मुकदमें दर्ज हुए थे जिनका निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है एवं रिपोर्ट में अपीलांट का आचरण भी अच्छा होने का उल्लेख किया है। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(बी) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेंस उन्हीं परिस्थितियों में निलंबित/रिवोक किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हो। इन प्रावधानों में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए ही लाईसेंस निरस्त किया जा सकता है। अपीलांट ने कभी भी लाईसेंसशुदा हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है। जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने भी अपनी रिपोर्ट में अपीलांट द्वारा हथियार का दुरूपयोग किया हो इसके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। अपीलांट एक कृषक है कृषि का व्यवसाय होने के कारण अपीलांट को कई दिनों तक शहर के बाहर सुनसान स्थानों पर रहना होता है जहां केवल स्वयं के हथियार से ही सुरक्षा की जा सकती है। राजस्थान गृह (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–1(13) गृह 9/2006 दिनांक 13–7–2007 के बिन्दु संख्या 6(क) व (ख) के अनुसार फसल सुरक्षा व स्वयं की सुरक्षा के लिए हथियार का लाईसेंस जारी किया जा सकता है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा अपीलांट के केवल मात्र लाईसेंस नवीनीकरण हेतु 31–12–2002 के पश्चात दिनांक 22–7–2010 को नवीनीकरण हेतु आवेदन करने पर विलम्ब के आधार पर ही लाईसेन्स निरस्त किया है जबकि अपीलांट द्वारा आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण 7–8 वर्ष पूर्व फर्रूखाबाद उ0प्र0 में खाने कमाने के लिए रहना बताया है और जिसका प्रमाण पत्र भी अपीलांट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट द्वारा दिनांक 20–7–2010 को नोटेरी से तस्दीक शुदा स्वयं के हस्ताक्षर सहित एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसमें अंकित है कि अपीलांट द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की तिथि से किसी भी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं है न ही देश के किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक अभियोजन लम्बित है। साथ ही अपीलांट के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 व 7 के अन्तर्गत शांति भंग की आशंका बाबत कोई प्रकरण भी लम्बित नहीं है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा कर जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा केवल विलम्ब को आधार मानकर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 12/90 निरस्त किया है जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अध्ययन किये बिना एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध सभी तथ्यों एवं राज्य सरकार के परिपत्र/आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत पुनः जांच किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमें जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पारित

अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य प्रतीत होता है, लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नागौर) का अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.21(305)न्याय/आर्म्स/2010/402 दिनांक 30–08–2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त विवेचन के आलोक में दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन कर एवं अपीलांट की पुनः विधिवत सुनवाई कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 11–5–2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर